**राजस्थान सरकार**
**वित्त (राजस्व) विभाग**

क्रमांक प.4(8) वित्त/राजस्व /2005 पार्ट                    जयपुर दिनांक    AUG 2011

**–: परिपत्र :–**

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग में कम्प्यूटराईजेशन के कार्य को दृष्टिगत रखते हुए कटौती पत्रों को ऑन–लाईन प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया हैं। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक प.4(8)वित्त/राजस्व/2005 पार्ट दिनांक 27.06.2011 जारी किया जा चुका हैं।

राज्य सरकार द्वारा सभी कार्यालयों में इन्टरनेट लेने के संबंध में सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग द्वारा परिपत्र एफ.5(282) डीओआईटी/टेक/06/2269 दिनांक 18.12.2006 जारी किया हुआ हैं, जिसमें अधिकतम 700/– रूपये तक व्यय करने का प्रावधान हैं। यदि उक्त परिपत्र के आधार पर कार्यालय में इन्टरनेट सुविधा का उपयोग नही किया गया हैं तो राज्य बीमा विभाग के कटौती पत्रों एवं अन्य आवश्यक सूचनाओं को ऑन–लाईन उपलब्ध कराने के लिए सी.एम.सी. (कॉमन सर्विस सेन्टर) अथवा बाजार से साईबर केफे अथवा डाकघर से लौगिन कर इन्टरनेट सुविधा का उपयोग कर सकते हैं एवं इस पर अधिकतम 100/– रूपये प्रति माह प्रति कार्यालय व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती हैं। यह राशि कार्यालय द्वारा संचालित बजट मद के कार्यालय व्यय से व्यय की जायेगी।

आज्ञा से,

विशिष्ठ शासन सचिव
वित्त (व्यय) विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान जयपुर। कृपया आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अपने स्तर पर उक्त परिपत्र की प्रति उपलब्ध करावें।
2. समस्त विभागाध्यक्ष।
3. समस्त कोषाधिकारी
4. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग